

12/1/15 वकील फरीकेन उप०/३०० इजाजती के उत्तर प के उहि विधि
ने ज०पत्रके शर्त पर प्रमाप्ति नहीं होने के कारण
कोई जनक पेश नहीं किया है पत्रावली वाले वकालत
दिनांक 10/1/15 को पेश है।

मान्यवर/सुखवादी
अजय सिंह प्रभाकर
नहीं हो रहा। जकार
अपेक्षित नहीं है।
17/6/14
M.T. सुभो
(पुणे ०-२२२२)

वकीलों के कन्डालिस के कारण पूर्वानुसार वास्ते...
दिनांक 17/7/15... को पेश हो।

17/7/15 वकीलों के कन्डालिस के कारण पूर्वानुसार वास्ते...
दिनांक 24/7/15... को पेश हो।

24/7/15 वकीलों के कन्डालिस के कारण पूर्वानुसार वास्ते...
दिनांक 15/8/15... को पेश हो।

14/8/15 वकीलों के कन्डालिस के कारण पूर्वानुसार वास्ते...
दिनांक 11/9/15... को पेश हो।

11/9/15 वकीलों के कन्डालिस के कारण पूर्वानुसार वास्ते...
दिनांक 30/9/15... को पेश हो।

30/9/15 वकील फरीकेन उप०/३०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 4/11/15... को पेश हों।

4/11/15 वकील फरीकेन उप०/३०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 15/11/15... को पेश हों।

15/11/15 वकील फरीकेन उप०/३०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 19/11/15... को पेश हों।

19/11/15 वकील फरीकेन उप०/३०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 24/11/15... को पेश हों।

29/11/15 पत्रावली अज लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी एवं
अप्रार्थी ने अपरिमित लोक अदालत होना व समाप्त
होना के बीच प्रयत्न में अकाल विवाद नहीं है।
पत्रावली लाम्बत है। शरीककार प्रिय है। अतः प्रत्येक
स्वयं कर इस अर्थात् अतः प्रत्येक प्रार्थी स्वयं कर किया जाता है।
पत्रावली के साथ प्रस्ताविका होकर अर्थात् प्रार्थी को पेश है।

निवेदन